फर्द अहकाम

यायालय ____________________

चोखी देवी बनाम सुरजानी

मुकदमा संख्या / वर्ष 03/2022 / 20____

क्र.	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	24/5/24	पत्रावली पेश हुई वकील प्रार्थी व अप्रार्थी सं0 1 लगायत 7 उपस्थित प्रार्थी की ओर से पेश प्रार्थना पत्र O 22 R 3 CPC पर बहस सुनी गई प्रार्थी की ओर से पेश प्रार्थना पत्र O 22 R 3 CPC स्वीकार किया जाता है [illegible] अप्रार्थी सं0 8 लगायत 25 की ओर से कोई उपस्थित नहीं [illegible] एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाती है पत्रावली [illegible] हेतु दिनांक 21/6/2024 को पेश हो उपखण्ड अधिकारी जयपुर द्वितीय (सांगानेर)	
	21/6/24	पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी व अप्रार्थी सं0 1 लगायत 7 उप0 व [illegible] प्रार्थी की ओर से पेश प्रार्थना पत्र सुनी गई प्रार्थी को [illegible] धारा 111/128 [illegible] बाबत [illegible] स्वीकार किया जाता है [illegible] विधि प्रमाण से [illegible] किया जाकर [illegible] पत्रावली [illegible] दाखिल दफ्तर हो उपखण्ड अधिकारी जयपुर द्वितीय (सांगानेर)	

Signature Not Verified
Digitally signed by Himmat Singh
Date: 2024.09.06 15:19:35 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जयपुर द्वितीय (सांगानेर), जयपुर

ठासीन अधिकारी का नामः हिम्मत सिंह, आर.ए.एस.
र्थना पत्र संख्याः 03/2022
र्णय दिनांकः 21.06.2024

. श्रीमति चौथी देवी पत्नी सुन्दरलाल (फौत दौराने प्रकरण)
. छगनलाल चौधरी पुत्र सुन्दर लाल चौधरी
2. गणेश चौधरी पुत्र सुन्दर लाल चौधरी
3. राधेश्याम चौधरी पुत्र सुन्दर लाल चौधरी
4. सुरज्ञान जाट पुत्र सुन्दर लाल चौधरी
5. विनय चौधरी पुत्र सुन्दर लाल चौधरी
6. अशोक चौधरी पुत्र सुन्दर लाल चौधरी

समस्त जाति जाट, निवासीयान हनुमंत विहार 2, ग्राम मांग्यावास, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर।

प्रार्थीगण

बनाम

1. श्रीमति सुरज्ञान देवी पत्नी भंवर लाल चौपडा
2. श्रीमति विमला देवी पत्नी रामेश्वर चौपडा
3. श्रीमति आशा चौपडा पत्नी गोरधन चौपडा
4. श्रीमति पुष्पा चौपडा पत्नी सुनील चौपडा
5. श्रीमति लाली चौपडा पत्नी राधेश्याम चौपडा
6. श्रीमति भूली पत्नी रामस्वरूप चौपडा
7. श्रीमति म्होरी देवी पत्नी स्व. श्री छीतरमल चौपडा

   समस्त जाति जाट, निवासीयान ग्राम गणपतपुरा चक नम्बर 1, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर।

8. राजस्थान लैण्ड डवलपर्स प्राईवेट लिमिटेड कार्यालय 69/4, न्यू सांगानेर रोड, मानसरोवर, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर।
9. सुरेन्द्र कुमार महोलिया पुत्र जैतराम महोलिया, जाति रैगर, निवासी रविदास कॉलोनी, नींदड मोड, हरमाडा, तहसील व जिला जयपुर।
10. रामकरण पुत्र भोला, जाति बैरवा, निवासी ग्राम पंवालिया, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर।
11. छाजूराम दत्तक पुत्र महादेव
12. नाथू पुत्र गंगाराम
13. देवाराम दत्तक पुत्र गंगाराम,

    समस्त जाति जाट, निवासी ग्राम पंवालिया, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर।

14. काल्या पुत्र नारायण, जाति कुम्हार, निवासी ग्राम पंवालिया, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर।

Signature Not Verified

Digitally signed by Himmat Singh
Date: 2024.09.06 15:19:35 IST
Reason: SelfAttested

उप खण्ड अधिकारी
जयपुर (द्वितीय)

15. प्रियदर्शिनी पॉली सेकल लिमिटेड, पंजीकृत कार्यालय एफ/41, प्रथम तल, ट्रेड सेन्टर स्टेशन रोड, कोल्हापुर, महाराष्ट्र।

16. श्रीमति निर्मला देवी पत्नी गोविन्दशरण कोटिया,

17. श्रीमति रेखा कोटिया पत्नी अजय कोटिया

समस्त जाति धोबी, निवासी राधावल्लभ मार्ग, सांगानेर, जिला जयपुर।

18. राजू बैरवा पुत्र नारायण लाल बैरवा, जाति बैरवा, निवासी ग्राम पंवालिया, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर।

19. धापू देवी पत्नी स्व. पांचूराम, जाति बैरवा, निवासी ग्राम पंवालिया, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर।

20. प्रभात्या पुत्र मांग्या (फौत)

21. नन्दरामं पुत्र कल्याण उर्फ काना

22. सीताराम पुत्र कल्याण उर्फ काना

23. नाथू पुत्र मांग्या (फौत)

23/1. श्रीमति कमला देवी पत्नी स्व0 नाथू

23/2. नानगराम पुत्र नाथू

24. छीतर पुत्र मंगल्या (फौत)

समस्त जाति बैरवा, निवासी ग्राम पंवालिया, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर।

25. सुनील कुमार चांवला पुत्र सूरजमल चांवला, जाति खटीक, निवासी प्लॉट संख्या 181, गिर्राज नगर, विजय पथ के सामने, इस्कॉन रोड, ग्राम धौलाई, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर।

अप्रार्थीगण

<u>प्रार्थना-पत्र बाबत् सीमाज्ञान एवं पत्थरगढी</u>

<u>प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 111 व 128 भू-राजस्व अधिनियम 1956</u>

निर्णय

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी की अभिलिखित खातेदारी एवं कब्जे काश्त की विवादित कृषि भूमि खसरा नम्बर 1314 रकबा 0.60 है0, खसरा नम्बर 1315 रकबा 0.11 है0, खसरा नम्बर 1316 रकबा 0.04 है0, खसरा नम्बर 1477 रकबा 0.26 है0, खसरा नम्बर 1478 रकबा 0.59 है0, खसरा नम्बर 1479 रकबा 1.27 है0, खसरा नम्बर 1480 रकबा 1.43 है0 व खसरा नम्बर 1488 रकबा 0.89 है0, कुल किता 8 रकबा 5.19 है0 ग्राम पंवालिया, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर में स्थित है। प्रार्थी की खातेदारी की विवादित कृषि भूमि खसरा नम्बर 1481 के पूर्व दिशा व उत्तर दिशा की सीमा के पश्चात् अप्रार्थीगण संख्या [illegible] लगायत तेरह की खातेदारी की कृषि भूमि खसरा नम्बर 1482 व 1483 स्थित [illegible] खातेदारी की विवादित कृषि भूमि खसरा नम्बर 1314 व 1481 [illegible] की खातेदारी की कृषि भूमि खसरा नम्बर 1482 और 1483 स्थित है। प्रार्थी की खातेदारी की विवादित कृषि भूमि खसरा नम्बर 1314 व 1481 के उत्तरी दिशा की सीमा के पश्चात् अप्रार्थीगण

Signature Not Verified
Digitally signed by Himmat Singh
Date: 2024.09.06 15:19:35 IST
Reason: SelfAttested

उप खण्ड अधिकारी
जयपुर (द्वितीय)

संख्या चौदह व पन्द्रह की खातेदारी की कृषि भूमि खसरा नम्बर 1312 स्थित है।
प्रार्थी की खातेदारी की विवादित कृषि भूमि खसरा नम्बर 1314, 1315, 1316 के
पश्चिमी दिशा की सीमा के पश्चात अप्रार्थीगण संख्या एक लगायत आठ की
खातेदारी की कृषि भूमि खसरा नम्बर 323, 326, 327, 328 व 329 तथा अप्रार्थी
संख्या 16 लगायत 25 की भूमि खसरा नम्बर 322 स्थित है। प्रार्थी की खातेदारी की
विवादित कृषि भूमि खसरा नम्बर 1477 व 1479 के दक्षिणी दिशा की सीमा के
पश्चात अप्रार्थीगण संख्या नौ व दस की खातेदारी की 'कृषि भूमि खसरा नम्बर 1476
तथा अप्रार्थी संख्या ग्यारह लगायत तेरह की कृषि भूमि खसरा नम्बर 1476/1776
तथा 1479/1777 स्थित है। दिनांक 14.05.2013 से पूर्व प्रार्थी की खातेदारी एवं
कब्जेकाश्त की विवादित कृषि की चतुर्थ सीमाओं पर विधिवत् परिनिर्मित स्थाई सीमा
चिन्ह स्थापित नही किये गये है। दिनांक 11.05.2013 को प्रार्थी की खातेदारी एवं
कब्जेकाश्त की विवादित कृषि भूमि की चतुर्थ सीमाओं पर विधिवत् परिनिर्मित स्थाई
सीमा चिन्ह स्थापित किये बिना अप्रार्थीगण जबरिया, मनमाने एवं गैर–कानूनी तौर
तरीके से प्रार्थी की खातेदारी की सीमा पर पुख्ता निर्माण कार्य इत्यादि करने पर
आमदा है। दिनांक 13.05.2013 को प्रार्थी ने अप्रार्थीगण को आवेदन के पैरा संख्या
सात में वर्णितानुसार विवादित सीमाओं पर निर्माण इत्यादि कार्य करने से पूर्व
विधिवत् स्थाई सीमा चिन्ह कायम करवाने के लिए अनुरोध किया तो अप्रार्थीगण
जबरिया गैर कानूनी तरीके से प्रार्थी की विवादित कृषि भूमि सीमाओं पर निर्माण
कार्य करने पर आमदा है। प्रार्थी अधिकारी है कि वे मान्य न्यायालय से वादग्रस्त
भूमि पर विधिवत् परिनिर्मित स्थाई सीमा चिन्ह कायम करावें। प्रार्थी को वादकारण
अप्रार्थीगण के द्वारा दिनांक 13.05.2013 को जबरिया मनमाने एवं गैरकानूनी तौर
तरीके से प्रार्थी की विवादित भूमि सीमाओं निर्माण कार्य करने की धमकी देने से
उत्पन्न होकर निरन्तर जारी है। अतः आवेदन प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थी की
खातेदारी एवं कब्जेकाश्त की कृषि भूमि खसरा नम्बर 1314 रकबा 0.60 है0, खसरा
नम्बर 1315 रकबा 0.11 है0, खसरा नम्बर 1316 रकबा 0.04 है0, खसरा नम्बर 1477
रकबा 0.26 है0, खसरा नम्बर 1478 रकबा 0.59 है0, खसरा नम्बर 1479 रकबा 1.27
है0, खसरा नम्बर 1480 रकबा 1.43 है0 व खसरा नम्बर 1488 रकबा 0.89 है0, कुल
किता 8 रकबा 5.19 है0 ग्राम पंवालिया, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर की चतुर्थ
सीमाओं पर विधिवत् परिनिर्मित स्थाई सीमाचिन्ह स्थापित करवायें जावें।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी कर तलब
किया गया। दिनांक 09.10.2013 को अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 7 की ओर से श्री
सुरेन्द्र ढाका एडवोकेट व अप्रार्थी संख्या 11 लगायत 14 की ओर से श्री राजेश
पंवालिया एडवोकेट उपस्थित। दिनांक 13.03.2014 को प्रार्थी की ओर से आदेश 1
नियम 10 व आदेश 22 नियम 4 जा0दी0 का प्रार्थना पत्र पेश किया। दिनांक 18.06.
2014 को प्रार्थना पत्र आदेश 1 नियम 10 व आदेश 22 नियम 4 जा0दी0 स्वीकार
किया गया। दिनांक 10.07.2014 को अप्रार्थी संख्या 10 की ओर से श्री देवेन्द्र शर्मा
एडवोकेट ने वकालतनामा व जवाब [illegible] दिनांक 16.06.
2016 को प्रकरण राजस्व लोक अदालत अभियान [illegible]16 [illegible] लाखना में नियत
किया गया जिसमें प्रार्थी की ओर से [illegible] प्रकरण को अदम
हाजरी अदम पैरवी में खारिज किया गया। दिनांक 21.07.[illegible]6 को प्रार्थी की ओर से
बाजदायरी प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दिनांक 05.08.[illegible]6 को प्रकरण को पुनः
नम्बर पर लिया जाकर अप्रार्थीगण को पुनः नोटिस जारी किये जाने के आदेश दिये
गये। दिनांक 21.06.2018 को उभयपक्षकारान की बहस सूनी जाकर प्रार्थी का प्रार्थना

Signature Not Verified
Digitally signed by Himmat Singh
Date: 2024.09.06 15:19:35 IST
Reason: SelfAttested

उप खण्ड अधिकारी

पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थी की खातेदारी भूमि पर पत्थरगढी किये जाने के आदेश दिये गये। अप्रार्थी संख्या 11 लगायत 13 द्वारा न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के विरूद्ध माननीय संभागीय आयुक्त जयपुर के समक्ष अपील प्रस्तुत की जिस पर माननीय संभागीय आयुक्त जयपुर ने दिनांक 18.10.2021 को अप्रार्थी संख्या 11 लगायत 13 की अपील स्वीकार कर प्रकरण को इस न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया कि प्रकरण में उभयपक्ष को साक्ष्य, सबूत, दस्तावेजात इत्यादि प्रस्तुत करने का एवं सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान दिया जाकर प्रकरण में पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करे।

प्रकरण माननीय संभागीय आयुक्त जयपुर से प्राप्त होने पर दिनांक 18.05.2022 को पुनः दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रार्थी की ओर से सीमाज्ञान रिपोर्ट दिनांक 20. 03.2013 की प्रमाणित प्रतिलिपि पेश की, जिसे शामिल मिसल किया गया। दिनांक 24.04.2024 को प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 22 नियम 3 स्वीकार किया जाकर प्रार्थी के वारिसान को रिकार्ड पर लिया गया, प्रार्थी द्वारा संशोधित उनवान प्रस्तुत किया गया जिसे शामिल मिसल किया गया। प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 7 के अधिवक्ता उपस्थित, अप्रार्थी संख्या 8 लगायत 25 की ओर से कोई उपस्थित नही होने से उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रकरण को बहस हेतु नियत किया गया।

बहस उभयपक्षकारान अधिवक्ता सुनी गई। अधिवक्ता प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दौहराते हुये वादग्रस्त भूमि की पत्थरगढी सीमाज्ञान रिपोर्ट के अनुसार किये जाने का निवेदन किया। अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 7 के अधिवक्ता ने प्रार्थी के प्रार्थना पत्र को स्वीकार करने में अनापत्ति जाहिर की।

हमने बहस उभयपक्षकारान अधिवक्ता पर मनन किया तथा पत्रावली में संलग्न दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। अवलोकन करने पर ज्ञात हुआ कि प्रार्थी विवादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 1314, 1315, 1316, 1477, 1478, 1479, 1480, 1481 के रिकॉर्डेड खातेदार काश्तकार है तथा प्रार्थीगण को अपनी आराजी कृषि भूमि को सुरक्षित रखना उनका विधिक अधिकार है। प्रार्थीगण अपनी खातेदारी भूमि की पत्थरगढी करवाना चाहा है जिसका उसको पूर्ण अधिकार है इस सम्बन्ध में अप्रार्थीगण को आपत्ति किये जाने का कोई अधिकार प्राप्त नही होता है, प्रार्थी द्वारा पत्थरगढी का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने से पूर्व अपनी खातेदारी भूमि का सीमाज्ञान करवाया है और उसी सीमाज्ञान की फर्द मौका रिपोर्ट के आधार पर पत्थरगढी करवाना चाहा है जो विधि अनुकूल एवं न्यायोचित है। अप्रार्थी संख्या 11, 12, 13 की ओर से आपत्ति की गई कि वादग्रस्त भूमि के सम्बन्ध में एक वाद न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है, परन्तु अप्रार्थीगण की ओर से वाद के सम्बन्ध में कोई दस्तावेजात प्रस्तुत नही किये गये है और अप्रार्थीगण न्यायालय के समक्ष उपस्थित हुये है। यदि वादग्रस्त भूमि के सम्बन्ध में कोई वाद विचाराधीन भी है तो प्रार्थीगण द्वारा केवल मात्र वादग्रस्त भूमि के स्थाई सीमा चिन्ह कायम करवाने का यह प्रार्थना पत्र पेश किया जिससे किसी प्रकार के राजस्व ... में परिवर्तन होने की सम्भावना नही है, वर्तमान स्थिति ... भूमि के रिकॉर्डेड खातेदार काश्तकार है और वर्तमान स्थिति ... अपनी भूमि की सुरक्षार्थ स्थाई सीमा चिन्ह कायम करवाने का वैधानिक अधिकार है। प्रकरण में प्रार्थी द्वारा अप्रार्थीगण को पक्षकार पडौसी खातेदार होने के आधार पर बनाया गया है, प्रार्थी ने अप्रार्थीगण की भूमि के सम्बन्ध में अन्यत्र कोई अनुतोष नही चाहा गया है, इसलिए प्रार्थी अपनी खातेदारी भूमि पत्थरगढी करवाने के अधिकारी है, ऐसी स्थिति

Signature Not Verified
Digitally signed by Himmat Singh
Date: 2024.09.06 15:49:35 IST
Reason: SelfAttested

उप खण्ड अधिकारी
जयपुर (द्वितीय)

में प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 व 128 भू–राजस्व अधिनियम स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र बाबत् सीमाज्ञान एवं पत्थरगढी अन्तर्गत धारा 111 व 128 भू–राजस्व अधिनियम स्वीकार किया जाकर तहसीलदार सांगानेर को निर्देशित किया जाता है कि अपने स्तर पर टीम गठित कर प्रार्थी की खातेदारी कृषि भूमि खसरा नम्बर 1314 रकबा 0.60 है0, खसरा नम्बर 1315 रकबा 0.11 है0, खसरा नम्बर 1316 रकबा 0.04 है0, खसरा नम्बर 1477 रकबा 0.26 है0, खसरा नम्बर 1478 रकबा 0.59 है0, खसरा नम्बर 1479 रकबा 1.27 है0, खसरा नम्बर 1480 रकबा 1.43 है0 व खसरा नम्बर 1481 रकबा 0.89 है0, कुल किता 8 रकबा 5.19 है0 ग्राम पंवालिया, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर की फर्द मौका सीमाज्ञान–रिपोर्ट आदेश दिनांक 20.03.2013 के अनुसार जरिये पुलिस इमदाद स्थाई सीमाचिन्ह कायम किये जाकर पत्थरगढी करें। इस आशय की तहरीर तहसीलदार सांगानेर को जारी हो। पत्रावली दर्ज नम्बर से कम किया जाकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 21.06.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(हिम्मत सिंह)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी
जयपुर–द्वितीय (सांगानेर),
जयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Himmat Singh
Date: 2024.09.06 15:19:35 IST
Reason: SelfAttested